भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1278

31 जुलाई, 2023 को उत्तर के लिए

आरआईएनएल का सेल में विलय

1278. श्री जी.वी.एल. नरसिंहा राव:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आरआईएनएल के सेल में विलय पर विचार करने की इच्छुक है जो 1.1 लाख करोड़ रुपए का निवेश करके अपनी क्षमता को बढ़ाकर 35 मिलियन टन करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि नहीं, तो आरआईएनएल का विनिवेश करने और सेल में निवेश करने के क्या कारण हैं जबकि दोनों ही केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं और इस्पात एक गैर-रणनीतिक क्षेत्र है;

(ग) आरआईएनएल के कच्चे माल की लागत और ऋण सेवा के बोझ को कम करने में मदद करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) लौह अयस्क की लागत कम करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य इस्पात उपक्रमों की भाँति आरआईएनएल को आबंटित आबद्ध लौह अयस्क खानों का आवंटन न किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)

(क) और (ख): जी नहीं। आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (पीएसई) नीति के अनुसार मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को मुख्यतः रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है। गैर-रणनीतिक क्षेत्रों वाले पीएसई पर व्यवहार्यता के आधार पर निजीकरण हेतु विचार किया जाएगा अन्यथा ऐसे उद्यमों को बंद किए जाने पर विचार किया जाएगा। नई पीएसई नीति के अनुसार, सरकार ने रणनीतिक विनिवेश के माध्यम से आरआईएनएल की सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में आरआईएनएल की हिस्सेदारी सहित राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) में भारत सरकार की शेयरधारिता के 100% विनिवेश के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है।

(ग) और (घ): आरआईएनएल के कच्चे माल की लागत को कम करने के लिए, इस्पात मंत्रालय ने आरआईएनएल को घरेलू कोकिंग कोयले और तापीय कोयले की आपूर्ति के लिए कोयला मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाया है। साथ ही, इस्पात मंत्रालय ने ओडिशा सरकार से सरकारी कंपनियों को आरक्षण देकर आरआईएनएल को लौह अयस्क के ब्लॉक के आवंटन हेतु अनुरोध किया है। आरआईएनएल ने एमएमडीआर अधिनियम, 2015 की धारा 17क(2क) के अंतर्गत लौह अयस्क भंडारों के आरक्षण के लिए खान मंत्रालय, भारत सरकार से सिफारिश करने हेतु ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों से अनुरोध किया है। आरआईएनएल राज्य सरकारों द्वारा आयोजित ई-नीलामी के माध्यम से लौह अयस्क के खानों के आवंटन में हिस्सा ले रहा है, लेकिन अभी तक खनन पट्टे को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाया है। कर्ज चुकौती भार के संबंध में, कार्यशील पूँजी संबंधी आवश्यकताओं आदि को सुनिश्चित करने के लिए आरआईएनएल ने प्रतियोगी ब्याज दरों पर नए ऋणों के लिए ऋणदात्री बैंकों के साथ इस मामले को उठाया है।

****